




ABUSSL JHARKHAND

New Rule for All Co-ordinator

- 1.) सभी कोडिनेटरों को सोसाइटी के सभी प्रकार के मीटिंग/ट्रेनिंग (ऑनलाइन/ऑफलाइन) में उपस्थित होना जरूरी है।
- 2.) लगातार तीन बैठक में उपस्थित नहीं होने पर आपको स्पष्टीकरण देना होगा।
- 3.) लगातार तीन बैठक में बिना किसी कारण के अनुपस्थित रहने पर आप का I.D Freeze कर दिया जाएगा।
- 4.) सभी प्रकार के योजनाओं (सरकारी/अबुस्सल) को अपने – अपने क्षेत्रों में लोगों तक पहुँचाने का काम करना है।
- 5.) सभी कोडिनेटर को प्रतिमाह कम से कम 2000/- का आय करना जरूरी है।
- 6.) लगातार दो महीना 2000/- रू० से कम आय करने पर अगला महीने से पेमेंट रोक दिया जाएगा।
- 7.) सभी कोडिनेटर एक दूसरे को समय-समय पर कोडिनेट (सहयोग) करना है।
- 8.) कोई भी कोडिनेटर किसी भी प्रकार का Extra पैसा लोगों से नहीं वसूलेगा। ऐसा पाये जाने पर विधि-समंद कार्यवाही की जाएगी अथवा निष्कासित भी किया जा सकता है।
- 9.) कोई भी कोडिनेटर ABUSSL अथवा ABUSSL मंच का नाम, राजनीतिक एवं धार्मिक प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा पाये जाने पर विधि-समंद कार्यवाही की जाएगी।
- 10.) सभी कोडिनेटरों को अबुस्सल उप-विधि एवं झारखण्ड को-ऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का पालन करना होगा।
- 11.) किसी प्रकार का परेशानी एवं घटना घटित होने पर सोसाइटी के अधिकारी/पदाधिकारी/मुख्यालय को सूचित करने एवं समाधान करने का काम करेंगे।


9/10/2023

सचिव

आदिवासी बहुउद्देशीय उत्थान

सहकारी समिति लि०

ABUSSL JHARKHAND